उपायुक्त कार्यालय, साहेबगंज
(जिला नजारत शाखा)

अति अल्पकालीन निविदा

सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक–3632/रा0, दिनांक–24.06.2016 द्वारा परिसदन, साहेबगंज के रखरखाव एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाने का निदेश है।

उक्त निदेश के आलोक में नया परिसदन, साहेबगंज के दोनों भवनों के सभी कमरों तथा सम्पूर्ण परिसर स्थित बिजली के उपकरणों यथा पंखा, सी0एफ0एल0/एल0ई0डी0/बल्ब, सभी ए0सी0, वाटर फिल्टर, टी0भी0/एल0ई0डी0 सुरक्षा लाईट, गार्डन लाईट आदि की देखभाल एवं आवश्यक मरम्मति (वायरिंग सहित) के लिए वार्षिक आधार पर ANNUAL MAINTENANCE का दर निर्धारण के लिए दो लिफाफा प्रणाली के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी sahibganj.nic.in एवं जिला नजारत के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

1. प्रथम लिफाफे में संस्था/व्यक्ति का वार्षिक टर्न ओभर/स्वच्छता अंकित होगा। कार्य करने का अनुभव समर्पित करना होगा।
2. दूसरे लिफाफे में निविदा दाता को उपरोक्त सेवाएं देने के एवज में वार्षिक राशि/दर अंकित करना होगा।

1. निविदा मुहर बंद लिफाफा जिला नजारत शाखा, साहेबगंज में निविदा प्रकाशन की तिथि से **दिनांक–16.03.2017 को 01:00 बजे अपराह्न** तक कार्यालय कार्य अवधि में जमा किया जा सकेगा। **दिनांक–16.03.2017 को 04:00 बजे अपराह्न** में उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में सील बंद लिफाफा से निविदा पत्र बाहर निकाला जाएगा तथा निविदा समिति के सदस्यों की उपस्थिति में निविदा खोला जाएगा।
2. प्राप्त निविदा पत्रों मे से जिस निविदादाता का दर न्यूनतम होगा उसे साहेबगंज परिसदन में उक्त कार्य करने हेतु आदेश निर्गत किया जाएगा।

निविदा में निम्नलिखित शर्त्तो का पालन करना होगा :–

1. अग्रधन राशि के रूप में 20,000.00 (बीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट उपायुक्त, साहेबगंज के पदनाम से जमा करना होगा।
2. वाणिज्य कर, सेवा–कर, आय–कर, का अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र निविदा के साथ समर्पित करना होगा।
3. गुणवत्ता और स्वीकृति दर में आपूर्त्ति के दौरान किसी प्रकार की हेरा फेरी या त्रुटि पाए जाने पर फर्म तथा प्रोपराईटर दोनों को काली सूची में डालते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं निविदा रद्द की जा सकती है।
4. दर स्वीकृत या निर्धारित होने पर न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक फर्म के बीच कार्य आवंटित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
5. जिला स्तरीय समिति द्वारा ली गयी निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
6. यदि चयनित निविदादाता निर्धारित तिथि तक कार्य सम्पन्न नहीं कर पाता है तो उसका कार्यादेश को रद्द कर अन्य निविदादाता को कार्यादेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

7. निविदा को खोलने की तिथि में परिवर्त्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
8. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

उपायुक्त
साहेबगंज।

ज्ञापांक ..../जि0न0, साहेबगंज, दिनांक..............................

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान केन्द्र पदाधिकारी, साहेबगंज को सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी के साथ जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतलिपि :– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं निविदा आमंत्रण सूचना की सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी के साथ स्थानीय तीन दैनिक सामाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

उपायुक्त
साहेबगंज।

ज्ञापांक 413/जि0न0, साहेबगंज, दिनांक 04/03/2017

प्रतिलिपि :– सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपायुक्त
साहेबगंज।